**संख्या-01/2018/क0नि04-1661/11-2017-300(3)/17**

**प्रेषक,**

**अरविन्द कुमार,**
**अनु सचिव,**
**उ0प्र0 शासन।**

**सेवा में,**

**कमिश्नर,**
**वाणिज्य कर,**
**उ0प्र0, लखनऊ।**

**कर एवं निबन्धन अनु0-4** **लखनऊ: दिनाँक 02 जनवरी, 2018**

**विषय: जी0एस0टी0 व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन हेतु जी0एस0टी0एन0 गाइडलाइन्स के क्रम में विभागीय कार्यालयों में एल0ए0एन0 (लोकल एरिया नेटवर्किंग) स्थापित किये जाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाना।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-आई0टी0-एल0ए0एन0 **(**लोकल एरिया नेटवर्किंग-(2017-18)/1532/वाणिज्य कर**,** दिनांक-20.12.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर विभाग में लोकल एरिया नेटवर्किंग (एल0ए0एन0) स्थापित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत रूपये 14.00 करोड़ (रूपया चौदह करोड़ मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल**,** उ0प्र0 निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

**(i).** उक्त कार्य ई-टेन्डरिंग के माध्यम से ही कराया जाएगा तथा ई-निविदा आमंत्रित करते हुए न्यूनतम दर कोट करने वाली कार्यदायी संस्था का चयन किया जायेगा एवं तद्हेतु उक्त धनराशि व्यय करने के सम्बन्ध में भुगतान की कार्यवाही शासन की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही की जायेगी। इस सम्बन्ध में समस्त उत्तरदायित्व कमिश्नर**,** वाणिज्य कर का होगा।

**(ii).** स्वीकृत धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0ए0**/**डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

**(iii).** स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा तथा वित्त विभाग द्वारा समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**(iv).** प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है**,** उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

**(v).** वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक-03.08.2017 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017 दिनांक-20.11.2017 में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**2-** इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2040-बिक्री**,** व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-09 जी0एस0टी0एन0 से सम्बन्धित व्यय-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की मद के नामे डाला जायेगा।

**भवदीय,**

**(अरविन्द कुमार)**
**अनु सचिव।**

**संख्या-01/2018/क0नि0-4-1661(1)/11-2017, तद्दिनांक:-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

**1-** महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय**,** उ0प्र0, इलाहबाद।
**2-** महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय**,** उ0प्र0, इलाहाबाद।
**3-** एडीशनल कमिश्नर (लेखा)/वित्त नियंत्रक**,** वाणिज्य कर मुख्यालय**,** वाणिज्य कर विभाग**,** उ0प्र0, लखनऊ।
**3-** मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
**4-** वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
**5-** गार्ड बुक ।

**आज्ञा से,**

**(अरविन्द कुमार)**
**अनु सचिव।**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।